न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दमा नम्बर 94 / 2020 दायर दिनांक–13.07.2020

1. परसाराम पुत्र स्व0 श्योकरण जाति जाट निवासी ग्राम धोलाबेरा पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र स्व0 रामदेवपा व स्व0 सिणगारी देवी
2. महावीर पुत्र स्व0 रामदेवपा व स्व0 सिणगारी देवी
3. पतासी देवी पुत्री स्व0 रामदेवपा व स्व0 सिणगारी देवी
4. जमना देवी पुत्री स्व0 रामदेवपा व स्व0 सिणगारी देवी
5. ज्याना देवी पुत्री स्व0 रामदेवपा व स्व0 सिणगारी देवी
6. ग्यारसी देवी पुत्री स्व0 रामदेवपा व स्व0 सिणगारी देवी
7. रूकमा देवी पुत्री स्व0 रामदेवपा व स्व0 सिणगारी देवी
8. परमेश्वरलाल पुत्र नारायणाराम
9. सपना देवी पत्नि स्व0 कुरड़ाराम
10. मोनू उर्फ पिंकी स्व0 कुरड़ाराम
11. हेमराज पुत्र स्व0 कुरड़ाराम
12. गोरधन पुत्र नारायणाराम
13. रामकुवार पुत्र नारायणाराम
14. विधाधर पुत्र नारायणाराम
15. चुनरी देवी पुत्री नारायणाराम
16. माली देवी पुत्री नारायणाराम समस्त जाति जाट निवासीगण धोलाबेरा पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
17. लैण्ड होल्डर जरियें तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील प्रतिवादी :– श्री सज्जन कुमार चाहर

दावा बाबत घोषणा व
दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक–25.04.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3507 रकबा 0.8000 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घो[illegible] जाकर प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावे।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि [illegible] के कब्जे काश्त व रिहायस में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:36:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर [illegible] गया तथा तलबी प्रतिवादी[illegible] जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 09 लगायत 14 की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 09 लगायत 14 की ओर से जबाब दावा नही पेश करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ

ने वादी परसराम का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात नकल जमाबंदी तथा नकल मिलान क्षैत्रफल आदि पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3507 रकबा 0.8000 है0 का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3507 रकबा 0.8000 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज चले आ रहे प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त व रिहायस में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:36:53 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 94/2020 **(परसाराम बनाम पेमाराम आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3507 रकबा 0.8000 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज चले आ रहे प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त व रिहायस में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:36:53 IST
Reason: SelfAttested